

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2013/कार्तिक 28, 1935

No. 566]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2013/KARTIKA 28, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 739(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (समूह 'ग' योद्धक, तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी संगठन(सिविल) के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (सिविल) योद्धक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**:—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता** :—
(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
(2) शेष-1 का तात्पर्य निम्नलिखित चिकित्सा प्रवर्ग से है:—

(i) कोड अक्षर एस.एच.ए.पी.ई, जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित किए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :—

S—मनोवैज्ञानिक (Psychological)

H—श्रवण क्षमता (Hearing)

A –एपेंडेजेज (Appendages)**P –शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)****E –दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)**

- (ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता को प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 के उपदर्शित कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी—। है तो वहां इसका प्रवर्ग एस-1, एच-1, ए-1, पी-1, ई-1 लिखने के बजाय शेष—। लिखकर दर्शाया जा सकेगा।

इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

- (क) कहीं भी सभी प्रकार की ड्यूटी के लिए योग्य।
- (ख) सभी प्रकार की ड्यूटी के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन की योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (ग) “एस” कारक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कार्य के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण अवकाश के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
- (ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

5. निरर्हताएं :- वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;
- उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **सेवा की अन्य शर्तें :-** (1) इस कांडर में नियुक्त किए गए व्यक्ति, सेवा की ऐसी अन्य शर्तों की बाबत जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं हैं, समय-समय पर यथा संशोधित सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के अध्याधीन होंगे।

(2) अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होते ही, उस योद्धक पद के लिए, जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है, समय-समय पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा विहित वर्दी पहननी होगी और बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

9. **अन्य देशीय की अपात्रता:-** इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल या भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को विवर्जित नहीं करेगी।

10. **अधिवर्षिता :-** ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार अपनी सेवा से सेवा निवृत्त होगा:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

- (2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. हैड कांस्टेबल	76* (2013)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रूपए + ग्रेड वेतन 2400 रूपए
फिटर/ लुहार	17		
बढ़ई/ राजमिस्त्री	33		
प्लम्बर	13		
वैल्डर	03		
पम्प आपरेटर	10		
कुल	76		

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(क) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ फिटर या लुहार या बढ़ई या राजमिस्त्री या प्लम्बर या पम्प आपरेटर की विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) प्रमाणपत्र या प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव। (ख) शारीरिक मानदंड :- (i) लंबाई पुरुष - 165 से.मी. मिजो और नागा सहित पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों के लिए 5 से.मी. तक शिथिलनीय। महिला- 157 से.मी. (ii) सीना पुरुष-76-81 से.मी., 20 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए 2 से.मी. तक शिथिलनीय। महिला- लागू नहीं होता। (iii) वजन पुरुष - लंबाई के अनुपात में और चिकित्सा मानदंड के अनुसार। महिला - लंबाई के अनुसार परन्तु 46 किलोग्राम से कम नहीं। (ग) चिकित्सा मानक (i) दृष्टि - दोनों आंखों की दूर की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीति शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च श्रेणी की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति में होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (घ) तकनीकी अभिरुचि और विद्याशाखा दोनों परीक्षण में लिखित, प्रेक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। (च) शारीरिक क्षमता की जांच में उत्तीर्ण होना चाहिए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति:— भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष ।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (इसमें 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों शामिल हैं) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
1. प्रोन्नति:— सीमा सुरक्षा बल के संबंधित विद्याशाखा के सेवारत कांस्टेबल (तकनीकी) जिन्होंने इंजीनियरी/पंजाब कार्य योजना ढांचे में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण—1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण—2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी 2006 या उस तारीख से पहले जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। 11. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन (i) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सेवारत हैड कांस्टेबल(जी डी) जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र हो तथा केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संबंधित विद्याशाखा में दो वर्ष का अनुभव हो और व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं । (ii) सीमा सुरक्षा बल के सेवारत कांस्टेबल(जी डी) जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र प्राप्त किये हों तथा केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों और वे व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं । (iii) ऐसे कार्मिक जो सेना, अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समतुल्य पद धारण किए हों और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों :— किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा और फिटर या लुहार या बढई या राजमिस्त्री या प्लम्बर या वेल्डर के विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र, या किसी प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों तथा व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं । टिप्पण—1 : ऐसे लोगों पर सम्यक विचार करते हुए अधिमानता दी जाएगी जिन्हें राहत आपरेशन, दीवाल या आयरन गटर काटने, ढह गई या नष्ट हो गई इमारत या मलबे या भूस्खलन से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का विविध अनुभव हो या सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरी में कुछ अनुभव हो। टिप्पण—2 : जिन सैन्यकर्मियों ने इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं सफलतापूर्वक पूरा किया है, वे भी इन पदों के लिए पात्र होंगे परन्तु यह कि ऐसे पाठ्यक्रम या शैक्षिक अर्हता को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा सम्यक अनुमोदन और समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। टिप्पण—3 : ऐसे कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जो कृत्रिम इंजीनियरी मशीनरी और गैस यांत्रिकी मशीनरी में

व्यावसायिक या सेना प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हों या ढही हुई इमारत या मलबे से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक विभिन्न मशीनरी और तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सेना प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित कोई अन्य प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ हो। तथापि कांस्टेबलों के मामले में उस श्रेणी में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा के साथ संबंधित विद्याशाखा में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण-4 : ऐसे कार्मिकों के मामले में जिनकी भर्ती किसी माध्यम जैसे से प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या पुनर्नियोजन के आधार पर हुई है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स में प्रवेश करने की उम्र 05 वर्ष बढ़ा दी जाएगी।

टिप्पण-5 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले, उस तारीख से पहले जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण-6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-7 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-8 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति –	
1. कमाण्डेंट – अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता।
2. सहायक कमाण्डेंट(वर्क्स) – सदस्य सीमा सुरक्षा बल	
3. सहायक कमाण्डेंट – सदस्य सीमा सुरक्षा बल	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. हैड कांस्टेबल पायनियर	46* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड 1, 5200–20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू	(क) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा के साथ राजमिस्त्री या बढई या प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या लोहार या वेल्डर या पेंटर या पॉलिशकर्ता या मशीनिस्ट के विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आई.टी. आई.) प्रमाणपत्र या प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव; (ख) शारीरिक मानदंड :- (i) लंबाई पुरुष—165 से.मी. मिजो और नागा सहित पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों के लिए 5 सें0मी0 तक शिथिलनीय। महिला—157 से.मी.

	कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(ii) सीमा पुरुष—76–81 से.मी, 20 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए 2 सें.मी. तक शिथिलनीय। महिला— लागू नहीं। (iii) वजन पुरुष —लंबाई के अनुपात में और चिकित्सा मानदंड के अनुसार। महिला —लंबाई के अनुसार परन्तु 46 किलोग्राम से कम नहीं। (ग) चिकित्सा मानक (i) दृष्टि—दोनों आंखों की दूर की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीति शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊँचे दर्जे की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति में होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे दक्षतापूर्वक कर्तव्यपालन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (घ) तकनीकी अभिरुचि और विद्याशाखा परीक्षण दोनों में लिखित, प्रेक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। (च) शारीरिक क्षमता की जांच में उत्तीर्ण होना चाहिए।
--	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (इसमें 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा ।

(11)
I. प्रोन्नति:— सीमा सुरक्षा बल के संबंधित विद्याशाखा जैसे कि राजमिस्त्री या बढई या प्लम्बर या इलैक्ट्रीशियन या लोहार या वेल्डर या पेंटर या पॉलिशकर्ता या मशीनिस्ट विद्याशाखा में ऐसे इंजीनियरी/पंजाब कार्य योजना ढांचे में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1:— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006, या उस तारीख से पहले जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। II. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन:— (i) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सेवारत हैड कांस्टेबल (जी डी) जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र है तथा केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संबंधित विद्याशाखा में दो वर्ष का अनुभव हो और वे व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हों। (ii) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सेवारत कांस्टेबल (जी डी) जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र हो तथा केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव हो और वे व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं।

- (iii) ऐसे कार्मिक जो सेना, अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समतुल्य पद धारण किए हों और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों :-

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा और राजमिस्त्री या बढ़ई या प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या लोहार या वेल्डर या पेंटर या पॉलिशकर्ता या मशीनिस्ट के विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र, या किसी प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों तथा व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं।

टिप्पण-1 : ऐसे लोगों पर सम्यक विचार करते हुए अधिमानता दी जाएगी जिन्हें राहत आपरेशन, दीवाल या आयरन गटर काटने, ढह गई या नष्ट हो गई इमारत या मलबे या भूस्खलन से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का विविध अनुभव हो या सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरी में कुछ अनुभव हो।

टिप्पण-2 : जिन सैन्यकर्मियों ने इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वे भी इन पदों के लिए पात्र होंगे परन्तु यह कि ऐसे पाठ्यक्रम या शैक्षिक योग्यता को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदन और समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पण-3 : ऐसे कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जो कृत्रिम इंजीनियरी मशीनरी और गैस यांत्रिकी मशीनरी में व्यावसायिक या सेना प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हों अथवा ढही हुई इमारत या मलबे से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक विभिन्न मशीनरी और तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सेना प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित कोई अन्य प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ हो। तथापि कांस्टेबलों के मामले में उस श्रेणी में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा के साथ संबंधित विद्याशाखा में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण-4 : ऐसे कार्मिकों के मामले में जिनकी भर्ती किसी माध्यम से जैसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या पुनर्नियोजन के आधार पर हुई है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स में प्रवेश करने की उम्र 05 वर्ष बढ़ा दी जाएगी।

टिप्पण-5 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006, से पहले, उस तारीख से पहले जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण-6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-7 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-8 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति —	लागू नहीं होता।
1. कमाण्डेंट — अध्यक्ष	
सीमा सुरक्षा बल	
2. सहायक कमाण्डेंट(वर्क्स) — सदस्य	
सीमा सुरक्षा बल	
3. सहायक कमाण्डेंट — सदस्य	
सीमा सुरक्षा बल	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. हैड कांस्टेबल तकनीकी	54* (2013) *(कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित,	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए

		परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय (योधक)	
(5)	(6)	(7)		
अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(क) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा के साथ लोहार या राजमिस्त्री या फिटर या मशीनिस्ट के विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आई.टी.आई) प्रमाणपत्र या प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव; (ख) शारीरिक मानदंड :- (i) लंबाई पुरुष - 165 से.मी. मिजो और नागा सहित पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों के लिए 5 सें.मी. तक शिथिलनीय। महिला- 157 सें.मी. (ii) सीना पुरुष- 76-81 सें.मी., 20 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए 2 से.मी. तक शिथिलनीय। महिला- लागू नहीं होता। (iii) वजन पुरुष - लंबाई के अनुपात में और चिकित्सा मानदंड के अनुसार। महिला - लंबाई के अनुसार लेकिन 46 किलोग्राम से कम नहीं। (ग) चिकित्सा मानक (i) दृष्टि - दोनों आंखों की दूर की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीति शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊंचे दर्जे की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति में होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (घ) तकनीकी अभिरुचि और विद्याशाखा परीक्षण दोनों में लिखित, प्रेक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। (च) शारीरिक क्षमता की जांच में उत्तीर्ण हो।		

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (इसमें 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों सम्मिलित हैं) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा

(11)
प्रोन्नति:- सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सेवारत कांस्टेबल (तकनीकी) जिन्होंने संबंधित विद्याशाखा में इंजीनियरी/पंजाब एक्शन प्लान ढांचे में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण-1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण-2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पहले जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

11. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेहन.-

(i) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सेवारत हैड कांस्टेबल(जी डी) जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र है तथा केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संबंधित विद्याशाखा में दो वर्ष का अनुभव हो और वे व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं ।

(ii) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे सेवारत कांस्टेबल (जी डी) जिन्होंने 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र है तथा केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव हो और वे व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं ।

(iii) ऐसे कार्मिक जो सेना, अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समतुल्य पद धारण किए हों और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों :-

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा और लोहार या राजमिस्त्री या फिटर या मशीनिस्ट के विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र, या किसी प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित विद्याशाखा में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों व व्यावसायिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यक्षीन हैं ।

टिप्पण-1 : ऐसे लोगों पर सम्यक विचार करते हुए अधिमान दिया जाएगा जिन्हें राहत आपरेशन, दीवाल या आयरन गटर काटने, ढह गई या नष्ट हो गई इमारत या मलबे या भूस्खलन से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का विविध अनुभव हो या सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरी में कुछ अनुभव हो।

टिप्पण-2 : जिन सैन्यकर्मियों ने इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वे भी इन पदों के लिए पात्र होंगे परन्तु यह कि ऐसे पाठ्यक्रम या शैक्षिक योग्यता को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा सम्यक अनुमोदन और समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पण-3 : ऐसे कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जो कृत्रिम इंजीनियरी मशीनरी और गैस यांत्रिकी मशीनरी में व्यावसायिक या सेना प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हों अथवा ढही हुई इमारत या मलबे से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक विभिन्न मशीनरी और तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सेना प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित कोई अन्य प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ हो। परन्तु कांस्टेबलों के मामले में उस श्रेणी में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा के साथ संबंधित विद्याशाखा में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण-4 : ऐसे कार्मिकों के मामले में जिनकी भर्ती किसी माध्यम जैसे प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या पुनर्नियोजन के आधार पर हुई है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स में शामिल किए जाने की उम्र 05 वर्ष बढ़ा दी जाएगी।

टिप्पण-5 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले, उस तारीख से पहले जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण-6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-7 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-8 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति – 1. कमाण्डेंट – अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल 2. सहायक कमाण्डेंट(वर्क्स) – सदस्य सीमा सुरक्षा बल 3. सहायक कमाण्डेंट – सदस्य सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
4. कांस्टेबल बढ़ई—06 प्लम्बर—06 वेल्डर—03 राजमिस्त्री—06	21* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	वेतन बैंड—1, 5200—20200 रु० + ग्रेड वेतन 2000 रु०

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(क) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा के साथ बढ़ई या प्लम्बर या वेल्डर या राजमिस्त्री के विद्याशाखा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) प्रमाणपत्र या संबंधित विद्याशाखा में दो वर्ष का अनुभव; (ख) शारीरिक मानदंड :- (i) लंबाई पुरुष – 165 से.मी. मिजो. और नागा. सहित पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों के लिए 5 से.मी. तक शिथिलनीय। महिला— 157 से.मी. (ii) सीना पुरुष—76—81से.मी, 20 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए 2 से0मी0 तक शिथिलनीय। महिला— लागू नहीं होता। (iii) वजन पुरुष – लंबाई के अनुपात में और चिकित्सा मानदंड के अनुसार। महिला – लंबाई के अनुसार परन्तु 46 किलोग्राम से कम नहीं। (ग) चिकित्सा मानक (i) दृष्टि – दोनों आंखों की दूर की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीति शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊँचे श्रेणी की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति में होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (घ) तकनीकी अभिरुचि और विद्याशाखा परीक्षण दोनों में लिखित, प्रेक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। (च) शारीरिक क्षमता की जांच में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा (जिसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं) टिप्पण: प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण बाहर रहने से उत्पन्न हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा जो (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति — 1. कमाण्डेंट — अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल 2. सहायक कमाण्डेंट(वर्क्स) — सदस्य सीमा सुरक्षा बल 3. सहायक कमाण्डेंट — सदस्य सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. कांस्टेबल (सीवरमैन)	10* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹0 + ग्रेड वेतन 2000 ₹0

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(क) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के साथ सीवर के रखरखाव का अनुभव हो और संबंधित विद्याशाखा में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के अध्यधीन हैं। (ख) <u>शारीरिक मानदंड :-</u> (i) <u>लंबाई</u> पुरुष— 165 से.मी. मिजो. और नागा. सहित पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों के लिए 5 से.मी. तक शिथिलनीय। महिला— 157 से.मी. (ii) <u>सीना</u> पुरुष— 76-81 से.मी. 20 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए 2 से.मी. तक शिथिलनीय। महिला— लागू नहीं होता। (iii) <u>वजन</u> पुरुष — लंबाई के अनुपात में और चिकित्सा मानदंड के अनुसार। महिला — लंबाई के अनुसार परन्तु 46 किलोग्राम से कम नहीं।

		(ग) चिकित्सा मानक (i) दृष्टि — दोनों आंखों की दूर की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीति शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊँचे दर्जे की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति में होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (घ) तकनीकी अभिरुचि और विद्याशाखा परीक्षण दोनों में लिखित, प्रेक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। (च) शारीरिक क्षमता की जांच में उत्तीर्ण होना चाहिए।
--	--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा (जिसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं) टिप्पण: प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा जो (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति — 1. कमाण्डेंट — अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल 2. सहायक कमाण्डेंट(वर्क्स) — सदस्य सीमा सुरक्षा बल 3. सहायक कमाण्डेंट — सदस्य सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 17 / 18 / 2012—कार्मिक / सीसुबल]
शान्तनु, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2013

G.S.R.739(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of the Border Security Force Engineering set up (Group 'C' combatant, technical staff) Recruitment Rules, 1999, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of Engineering set up (Civil) in the Border Security Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force Engineering Set up (Civil) Combatant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Medical fitness.**—
 - (1) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.
 - (2) SHAPE-I means medical category defined as under:-
 - (i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions:-

S -	Psychological
H -	Hearing
A -	Appendages
P -	Physical Capacity
E -	Eye-Sight
 - (ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S₁H₁A₁P₁E₁. General evaluation of these numerals is as under :-
 - (a) Fit for all duties anywhere.
 - (b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears and eyes.
 - (c) Excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
 - (d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.
 - (e) Permanently unfit for duties.
5. **Disqualifications.**—No person,—
 - (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person
 shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
8. **Other conditions of service.**—(1) The persons appointed to the Cadre shall be subjected to the provisions of Border Security Force Act 1968 and Border Security Force Rules, 1969 as amended from time to time in respect of other conditions of service not specially provided for in these rules.

(2) The persons appointed on deputation from other Departments shall have to wear the uniform prescribed for the combatised post against which they are appointed and have to undergo basic training as prescribed by the Director-General from time to time on appointment on deputation.

9. **Ineligibility aliens.**—No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government, signified in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of a Nepal or Bhutan under these rules.

10. **Superannuation.**—Persons appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month, he shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of fifty seven years.

SCHEDULE

Name of the post		Number of post	Classification
(1)		(2)	(3)
1. Head Constable		76* (2013) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Combatised)
Fitter/Blacksmith	17		
Carpenter/Mason	33		
Plumber	13		
Welder	03		
Pump Operator	10		
Total	76		

Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-Selection post
(4)	(5)
Pay Band-1 Rs. 5200-20200 + Grade pay Rs. 2400	Non-Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
(a) Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	(a) Matriculation pass or its equivalent with Industrial Training Institute(ITI) Certificate in Fitter or Blacksmith or Carpenter or Mason or Plumber or Welder or Pump Operator or three years experience in the respective trade from reputed firm; (b) <u>Physical Standards:</u>— (i) <u>Height</u> Men – 165 cms. Relaxable by 5 cms for hill Tribes and Adivasis including Mizos and Nagas. Women - 157 Cms (ii) <u>Chest</u> Men - 76-81 cms. Relaxable by 2 cms for candidates below 20 years of age. Women - Not Applicable (iii) <u>Weight</u> Men– Proportionate to height and age as per medical standards. Women - According to height but not less than 46 Kgs.

	(c) <u>Medical Standards</u>:- (i) Eye sight – The minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of both the eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. (d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written, practical and interview. (e) Must qualify physical efficiency test.
--	--

Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method or recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment	Fifty percent by direct recruitment (including 10% from amongst Ex-servicemen). Fifty percent by promotion failing which by deputation(including short term contract)/absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

I. Promotion:

Serving Border Security Force Constable (Technical) of respective trade with 05 years regular service in Engineering/Punjab Action Plan set-up.

Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

II. Deputation(including short term contract)/Absorption:-

(i) Serving Border Security Force Head Constables (General Duty) possessing Industrial Training Institute certificate and two years experience certificate in the respective trade from any Institute recognized by Central or State Government subject to qualifying proficiency test.

(ii) Serving Border Security Force Constables (General Duty) having 08 years service and possessing Industrial Training Institute certificate and three years experience certificate in the respective trade from any Institute recognized by Central or State Government subject to qualifying proficiency test.

(iii) Personnel holding equivalent or analogous posts in Army, other Central Armed Police Forces or Central or the State Police Organisations, Central Public Works department or Public Works department or Central or the State Government Ministries or Departments and possessing following qualifications:-

Matriculation pass or tenth class from recognized board or Institute or equivalent and Industrial Training Institute (ITI) certificate in trade like Fitter or Blacksmith or Carpenter or Mason or Plumber or Welder or Pump Operator or three years experience in respective trade from a reputed firm subject to qualifying proficiency test.

Note-1: Due consideration and weightage be given to those who have varied experience in rescue operation, cutting walls or iron gutter, making safe holes to extract human lives or bodies from collapsed or destroyed building or debris or landslide etc or having some experience in civil or Structural Engineering.

Note-2: The Army personnel who possess qualification/successfully completed courses recognized by Army as equivalent to the educational qualifications prescribed for the posts will also be eligible for such posts provided that such course or qualifications are duly approved and recognized as equivalent by any Central or State authority like All India Council of Technical Education.

Note-3: Constables or Head Constables (General Duty) trained from professional or Army Training Centre in Artificial Engineering Machinery (AEM) and Pneumatic Machinery or any other training or courses conducted by Army Training Centre in regard to handling various machineries and techniques required to extract human lives or bodies from collapsed building or debris. However, in case of Constables, the minimum service in the grade should be 08 years with minimum 02 years experience in the trade.

Note-4: In case of personnel recruited through deputation(including short term contract) or re-employment basis from any source, the age of induction to National Disaster Relief Force(NDRF) should be increased by 5 years.

Note-5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note-6: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-7: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of applications.

Note-8: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible to consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Selection Committee.- 1. Commandant, —Chairman Border Security Force 2. Assistant Commandant(Works) — Member Border Security Force 3. Assistant Commandant — Member Border Security Force.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
2. Head Constable/ Pioneer	46* (2013) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Combatized)

(4)	(5)
Pay Band-1 Rs. 5200-20200 + Grade pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)
Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	(a) Matriculation pass or its equivalent with Industrial Training Institute(ITI) Certificate in the trade of Mason or Carpenter or Plumber or Electrician or Blacksmith or Welder or Painter or Polisher or Mechanist or three years experience in the respective trade from reputed firm; (b) <u>Physical Standards</u>:- (i) <u>Height</u> Men – 165 cms. Relaxable by 5 cms for hill Tribes and Adivasis including Mizos and Nagas. Women - 157 Cms (ii) <u>Chest</u> Men - 76-81 cms. Relaxable by 2 cms for candidates below 20 years of age. Women - Not Applicable (iii) <u>Weight</u> Men– Proportionate to height and age as per medical standards. Women - According to height but not less than 46 Kgs. (c) <u>Medical Standards</u>:- (i) Eye sight – The minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of both the eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. (d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written, practical and interview. (e) Must qualify physical efficiency test.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruitment	Fifty percent by direct recruitment (including 10% from amongst Ex-servicemen). Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) or absorption.

(11)
I. <u>Promotion</u>: Serving Border Security Force Constable (Technical) of respective trade, i.e., Mason or Carpenter or Plumber or Electrician or Blacksmith or Welder or Painter or Polisher or Mechanist with 05 years regular service in Engineering/Punjab Action Plan set-up. Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of

more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

II. Deputation(including short term contract)/Absorption.-

- (i) Serving Border Security Force Head Constables(General Duty) possessing Industrial Training Institute certificate and two years experience certificate in the respective trade from any Institute recognized by Central or State Government subject to qualifying proficiency test.
- (ii) Serving Border Security Force Constables (General Duty) having 08 years service and possessing Industrial Training Institute certificate and three years experience certificate in the respective trade from any Institute recognized by Central or State Government subject to qualifying proficiency test.
- (iii) Personnel holding equivalent or analogous posts in Army, other Central Para Military Forces or Central or State Police Organisations, Central Public Works department or Public Works department or Central or the State Government Ministries or Departments and possessing following qualifications:-

Matriculation or 10th class pass from recognized board or Institute or equivalent and Industrial Training Institute (ITI) certificate in trade like Mason or Carpenter or Plumber or Electrician or Blacksmith or Welder or Painter or Polisher or Mechanist or three years experience in respective trade from a reputed firm subject to qualifying proficiency test.

Note-1: Due consideration and weightage be given to those who have varied experience in rescue operation, cutting walls or iron gutter, making safe holes to extract human lives or bodies from collapsed or destroyed building or debris or landslide etc or having some experience in civil or Structural Engineering.

Note-2: The Army personnel who possess qualification/successfully completed courses recognized by Army as equivalent to the educational qualifications prescribed for the posts will also be eligible for such posts provided that such course or qualifications are duly approved and recognized as equivalent by any Central or the State authority like All India Council of Technical Education.

Note-3: Constables or Head Constables (General Duty) trained from professional or Army Training Centre in Artificial Engineering Machinery (AEM) and Pneumatic Machinery or any other training or courses conducted by Army Training Centre in regard to handling various machineries and techniques required to extract human lives or bodies from collapsed building or debris. However, in case of Constables, the minimum service in the grade should be 08 years with minimum 02 years experience in the trade.

Note-4: In case of personnel recruited through deputation(including short term contract) or re-employment basis from any source, the age of induction to National Disaster Relief Force(NDRF) should be increased by 5 years.

Note-5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note-6: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-7: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of applications.

Note-8: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible to consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Departmental Selection Committee.-	Not applicable.
1. Commandant, Border Security Force	—Chairman
2. Assistant Commandant(Works) Border Security Force	—Member
3. Assistant Commandant Border Security Force.	—Member

(1)	(2)	(3)
3. Head Constable/Technical	54* (2013) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Combatised)

(4)	(5)
Pay Band-1 Rs. 5200-20200 + Grade pay Rs. 2400	Non-Selection

(6)	(7)
Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	(a) Matriculation pass or its equivalent with Industrial Training Institute (ITI) Certificate in the trade of Blacksmith or Mason or Fitter or Mechanist or three years experience in the respective trade from reputed firm; (b) <u>Physical Standards</u>:- (i) <u>Height</u> Men – 165 cms. Relaxable by 5 cms for hill Tribes and Adivasis including Mizos and Nagas. Women - 157 Cms (ii) <u>Chest</u> Men - 76-81 cms. Relaxable by 2 cms for candidates below 20 years of age. Women - Not Applicable (iii) <u>Weight</u> Men– Proportionate to height and age as per medical standards. Women - According to height but not less than 46 Kgs. (c) <u>Medical Standards</u>:- (i) Eye sight – The minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of both the eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. (d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written, practical and interview. (e) Must qualify physical efficiency test.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment	Fifty percent by direct recruitment (including 10% from amongst Ex-servicemen). Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) or absorption

(11)
I. <u>Promotion</u>: Serving Border Security Force Constable (Technical) of respective trade with 05 years regular service in Engineering/Punjab Action Plan set-up.

Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

II. Deputation(including short term contract) or Absorption.-

- (i) Serving Border Security Force Head Constables(General Duty) possessing Industrial Training Institute certificate and two years experience certificate in the respective trade from any Institute recognized by Central or State Government subject to qualifying proficiency test.
- (ii) Serving Border Security Force Constables (General Duty) having 08 years service and possessing Industrial Training Institute certificate and three years experience certificate in the respective trade from any Institute recognized by Central or State Government subject to qualifying proficiency test.
- (iii) Personnel holding equivalent or analogous posts in Army, other Central Armed Police Forces or Central or the State Police Organisations, Central Public Works department or Public Works department or Central or the State Government Ministries or Departments and possessing following qualifications:-

Matriculation or 10th class pass from recognized board or Institute or equivalent and Industrial Training Institute (ITI) certificate in trade like Blacksmith, Mason, Fitter, Mechanists etc or three years experience in respective trade from a reputed firm subject to qualifying proficiency test.

Note-1: Due consideration and weightage be given to those who have varied experience in rescue operation, cutting walls or iron gutter, making safe holes to extract human lives or bodies from collapsed or destroyed building or debris or landslide etc or having some experience in civil or Structural Engineering.

Note-2: The Army personnel who possess qualification or successfully completed courses recognized by Army as equivalent to the educational qualifications prescribed for the posts will also be eligible for such posts provided that such course or qualifications are duly approved and recognized as equivalent by any Central or the State authority like All India Council of Technical Education.

Note-3: Constables or Head Constables (General Duty) trained from professional or Army Training Centre in Artificial Engineering Machinery (AEM) and Pneumatic Machinery or any other training or courses conducted by Army Training Centre in regard to handling various machineries and techniques required to extract human lives or bodies from collapsed building or debris. However, in case of Constables, the minimum service in the grade should be 08 years with minimum two years experience in the trade.

Note-4: In case of personnel recruited through deputation(including short term contract) or re-employment basis from any source, the age of induction to National Disaster Relief Force(NDRF) should be increased by five years.

Note-5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note-6: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note-7: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of applications.

Note-8: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible to consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Departmental Selection Committee :- 1. Commandant, - Chairman Border Security Force 2. Assistant Commandant(Works) - Member Border Security Force 3. Assistant Commandant - Member Border Security Force.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Constable Carpenter – 06 Plumber - 06 Welder - 03 Mason - 06	21 * (2013) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 + Grade pay of Rs. 2000

(5)	(6)
Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Matriculation pass or its equivalent with Industrial Training Institute(ITI) Certificate in the trade of Carpenter or Plumber or Welder or Mason or two years experience in the respective trade. (b) <u>Physical Standards</u>:- (i) <u>Height</u> Men – 165 cms. Relaxable by 5 cms for hill Tribes and Adivasis including Mizos and Nagas. Women - 157 Cms (ii) <u>Chest</u> Men - 76-81 cms. Relaxable by 2 cms for candidates below 20 years of age. Women - Not Applicable (iii) <u>Weight</u> Men – Proportionate to height and age as per medical standards. Women - According to height but not less than 46 Kgs. (c) <u>Medical Standards</u>:- (i) Eye Sight – The minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of both the eyes without correction i.e. without wearing of glasses.	Not applicable.	Two years	By Direct Recruitment (including 10% from amongst Ex-Servicemen). Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Govt holding (i) analogous posts on regular basis and (ii) possess the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column(7).

(ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.			
(d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written, practical and interview.			
(e) Must qualify physical efficiency test.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Selection Committee:— 1. Commandant, - Chairman Border Security Force 2. Assistant Commandant(Works) - Member Border Security Force 3. Assistant Commandant - Member Border Security Force	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Constable (Sewerman)	10 * (2013) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 and Grade pay Rs. 2000

(5)	(6)
Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)
(a) Matriculation pass or its equivalent with experience in maintenance of sewerage subject to qualifying proficiency test in the trade; (b) <u>Physical Standards:-</u> (i) <u>Height</u> Men – 165 cms. Relaxable by 5 cms for hill Tribes and Adivasis including Mizos and Nagas. Women - 157 Cms (ii) <u>Chest</u> Men - 76-81 cms. Relaxable by 2 cms for candidates below 20 years of age. Women - Not Applicable (iii) <u>Weight</u> Men – Proportionate to height and age as per medical standards. Women - According to height but not less than 46 Kgs.	Not applicable

(c) <u>Medical Standards</u>:- (i) Eye Sight – The minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of both the eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. (d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written, practical and interview. (e) Must qualify physical efficiency test.	
--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits	Direct Recruitment (including 10% from amongst Ex-Servicemen) Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt holding (i) analogous posts on regular basis and (ii) possess the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Selection Committee :— 1. Commandant, - Chairman Border Security Force 2. Assistant Commandant(Works) - Member Border Security Force 3. Assistant Commandant - Member Border Security Force	Not applicable.

[F. No. 17/18/2012-Pers/BSF]

SHANTANU, Director (Pers.)